न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 145/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/240

प्रार्थी:– रताराम पुत्र जोधाराम जाति सिरवी निवासी बिजोवा, तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घीसाराम पुत्र मोडाराम जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी जिला पाली।
2. ग्राम पंचायत बिजोवा जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/10/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 31/2024–25, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में वर्णित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का पैतृक, पुश्तैनी पट्टाशुदा भूखण्ड ग्राम बिजोवा में आया हुआ है, जिसका पट्टा प्रार्थी के पिता जोधाराम पुत्र चेलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.06.1968 को जारी हो रखा है, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है। प्रार्थी के पिता के दो पुत्र मोडाराम व प्रार्थी रताराम है एवं अप्रार्थी संख्या 1 मोडाराम का पुत्र है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति का मौखिक रूप से विभाजन कर दिया जिसमें जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के हिस्से में आयी थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत आबादी भूमि का एक बार ही पट्टा जारी कर सकती है जब तक पूर्व में जारी किया गया पट्टा अस्तित्व में है तब तक उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। दोनों पट्टों के पडौस में भी समरूपता है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में विहित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 31/2024–25, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.09.2024 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलवध ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा जोधराज पुत्र चेलाजी के पक्ष में जारी पट्टा एवं जैर निगरानी पट्टा का अवलोकन करने पर पाते है कि दोनों पट्टों के पड़ौस उत्तर दिशा में नाला एवं दक्षिण दिशा में आम–रास्ता व दरवाजा अंकित है। इसके अतिरिक्त पूर्व दिशा व पश्चिम दिशा का नाप दोनों पट्टों का एक समान है तथा उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में नाप लगभग समान है। जिससे यह परिलिक्षित होता है कि उपरोक्त दोनों पट्टे एक ही भूमि पर जारी किये गये है अर्थात् ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया और अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त भूमि का पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया है जबकि उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि जैर गिनरानी आराजी का पूर्व में पट्टा जारी हो रखा है अर्थात् अप्रार्थी ने मिथ्या जानकारी ग्राम पंचायत के समक्ष पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों में अप्रार्थी का नाम पश्चातवर्ती अंकित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें प्रस्तावित भूमि का न तो नाप अंकित है और न ही नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया इस सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है और न ही मौका रिपोर्ट में पंचों द्वारा कोई राय कायम की गई। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है और एक बयान घीसुलाल द्वारा दिया गया जबकि अंगुष्ठ निशान चतराराम का है, जिससे यह जाहिर होता है कि उपरोक्त बयान पूर्व से ही प्रिंटेड है जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किया गया, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर संदेह होता है। ऐसे प्रिंटेड बयानों से यह आशंका बनती है कि बयान निर्माण पूर्व से तैयार है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंधन करता है। पूर्व से प्रिंटेड बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजोवा द्वारा मिसल संख्या 31/2024–25, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.09.2024 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.09.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख ग्राम पंचायत को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)